समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 25 August 2026

हनुमानगढ़ जिला कारागृह का निरीक्षण, बंदियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा

राजेश चौधरी

Published on 30 Mar 2026

[illegible] | [illegible] | [illegible]

हाल ही में माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशों की पालना में जिला कारागृह हनुमानगढ़ का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सी) संख्या 1404/2023 [illegible] के निर्णय के अनुपालन में किया गया।

निरीक्षण के दौरान श्री तनवीर चौधरी (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्री खुशाल यादव (जिला कलेक्टर) और श्री नरेंद्र सिंह मीणा (जिला पुलिस अधीक्षक) ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जेल का दौरा किया।

अधिकारियों ने बंदियों से संवाद कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली तथा जाति, धर्म और सामाजिक स्तर के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को लेकर चर्चा की। बंदियों ने बताया कि उन्हें समान रूप से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं है।

निरीक्षण के दौरान जेल की बैरकों, साफ-सफाई, स्वच्छता, चिकित्सा सेवाओं और भोजन व्यवस्था की भी गहन जांच की गई। इस दौरान अध्यक्ष श्री तनवीर चौधरी ने अधीक्षक को बैरकों और टॉयलेट में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा प्रिजन लीगल एड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया, जहां बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इस मौके पर बोर्ड के सदस्य डॉ. अखिलेश (उप जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी), श्रीमती आकाश दीप (उप आयुक्त, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र) और डॉ. प्रमोद (महाप्रबंधक, जिला कृषि विस्तार) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/राजेश चौधरी, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.